भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018

IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018

अनुसूची I – फॉर्म जे
(विनियम 10 और 14 देखें)
Schedule I – Form J
(See Regulation 10 and 14)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

Certificate of Registration

पंजीकरण संख्याः 595
Registration No: 595

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत बीमा दलाल **सम्मिश्र** के रूप में कार्य करने के लिए **लिमिटलेस इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण के द्वारा लगाई जानेवाली शर्तों तथा आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के उपबंधों के अधीन होगा।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र **28/04/2026** से विधिमान्य होगा और वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक यह प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a Certificate of Registration to **M/s Limitless Insurance Broking Services Private Limited** to act as Composite Insurance broker under the Act.

The Certificate of Registration shall be subject to conditions imposed by the Authority and the provisions of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018.

This Certificate of Registration shall be valid from **28/04/2026** and shall remain in force subject to payment of annual fee, until it is suspended, or cancelled by the Authority.

आदेशानुसार / By Order

स्थान / Place : हैदराबाद / **Hyderabad**
दिनांक / Date : 21 अक्टूबर, 2026 / **21-October-2026**

JOSYULA ANITA

Digitally signed by JOSYULA ANITA
Date: 2026.10.21 10:50:24 +05'30'

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India